भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1519

09.02.2026 को उत्तर के लिए

इकोमार्क योजना

1519. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की सुगम पहचान हेतु 1991 में इकोमार्क योजना आरंभ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इकोमार्क योजना के अंतर्गत लेबल किए गए उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना के आरंभ से ही इसमें आने वाली समस्याओं और मुद्दों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना को बढ़ावा देने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड़): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संस्थागत संरचना और इकोमार्क के कार्यान्वयन को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 1991 की इकोमार्क योजना के स्थान पर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को इकोमार्क नियमों को अधिसूचित किया है।

इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की मांग को बढ़ाना, कम ऊर्जा खपत, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इकोमार्क उपभोक्ताओं को सूचित खरीद निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और साथ ही निर्माताओं को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उत्पादन की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे हरित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) इकोमार्क नियम 2024 के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और इकोमार्क के अनुदान के लिए इन नियमों के तहत शामिल किए जाने वाले उत्पादों की पहचान और संचालन समिति की अनुशंसाओं सहित प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

ईकोमार्क किसी ऐसे उत्पाद को दिया जा सकता है जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत भारतीय मानकों के अनुरूप लाइसेंस या प्रमाण पत्र है और/या केंद्र सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का अधिकार पत्र है, और ईकोमार्क के अनुदान के लिए उत्पाद विशिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

नियमों में उल्लिखित शर्तों और मानदंडों का अनुपालन करने वाले उत्पाद के लिए इकोमार्क प्रदान किए जाने हेतु आवेदन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किया जाता है। आवश्यक सत्यापन करने के बाद, यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहमत है कि उत्पाद इकोमार्क 2024 नियमों के तहत निर्धारित शर्तों का अनुपालन करता है, तो वह उत्पाद को इकोमार्क प्रदान कर सकता है।

इन नियमों के तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति को मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों आदि के माध्यम से इन नियमों के बारे में जागरूकता सृजित करने का अधिकार है।

*****